

13/8/21

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महालय
दारे/अलकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली
आयन्दा दिनांक 27.10.21 को पेश हो।

Sayju

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
गत आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक
..... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

21/12/21

9/2/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महालय

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रार्थना पत्र में ~~निर्णय~~ निर्णय दिनांक 15.10.2020 प्राथमिक निर्णय/डिक्री किया पारित किया गया है। प्राथमिक निर्णय/डिक्री की ईजराय प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण में अभी अन्तिम निर्णय होना अपेक्षित है। अतः वकील आवेदक को आदेश दिये जाते हैं कि प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी होने पर ईजराय प्रस्तुत की जावे। हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत ईजराय को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

